SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या : 10/2021 — 05 अक्तूबर, 2021

विषय : क़तर केलिए छोटी इलायची का निर्यात -बाबत

स्पाइसेस बोर्ड को रिपोर्ट मिली थी कि क़तर के बंदरगाह के स्वास्थ्य और खाद्य नियंत्रण अनुभाग ने 1 अप्रैल, 2021 से भारत से निर्यात की जाने वाली छोटी इलायची के अनिवार्य आधिकारिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता को लागू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि खेप नाशीजीवनाशक अवशेषों से मुक्त है।

तदनुसार, बोर्ड ने भारतीय दूतावास, दोहा के माध्यम से इस मामले को क़तर के अधिकारियों के साथ उठाया था, और दूतावास, स्पाइसेस बोर्ड और क़तर के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी बैठक और विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

इसके बाद, दूतावास ने सूचित किया है कि क़तर के अधिकारियों ने एहतियाती उपायों से भारतीय इलायची को हटाने का फैसला किया है। हालांकि, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे क़तर द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करें ताकि दोनों देशों के बीच छोटी इलायची और अन्य मसालों का व्यापार सुचारू रूप से चल सके।

(ह.)
निदेशक(विपणन)

सेवा में,

मसाला एवं मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फ़ाइल विपणन-पूछताछ/डीजी/0001/2018 से जारी)